राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांक : परीक्षा 4–अ / परीक्षा–2023 / 4628 दिनांकः 4–3–23

स्नातक परीक्षा–2023 के प्रवेश–पत्र संबंधी सूचना

विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा–2023 की परीक्षायें दिनांक 16 मार्च, 2023 से प्रारम्भ होना प्रस्तावित है। स्नातक परीक्षा की समय सारिणी विश्वविद्यालय वेबसाईट www.uniraj.ac.in पर प्रसारित कर दी गयी है। स्नातकोत्तर व अन्य परीक्षाओं की समय सारिणी शीघ्र जारी कर दी जावेगी।

अतः समस्त परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके प्रवेश पत्र वेबसाईट www.univraj.org पर शीघ्र अपलोड़ कर दिये जायेंगे। प्रवेश पत्र उक्त वेबसाईट से अपने नाम व फार्म नम्बर प्रविष्ट कर, दो प्रतियों में डाउनलोड करें। दोनों प्रवेश पत्रों में निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी का फोटो उपलब्ध होना अनिवार्य है। फोटो न होने के स्थिति में अपना नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो प्रवेश पत्र पर लगाकर संबंधित प्राचार्य से प्रमाणित करवाकर ही परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित हों। परीक्षार्थियों को अन्य किसी माध्यम से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किये जायेंगे।

डाउनलोड किये गये प्रवेश पत्र में परीक्षार्थी का व्यक्तिगत विवरण यथा– नाम, पिता का नाम, माता का नाम, परीक्षा का माध्यम इत्यादि का मिलान बोर्ड / विश्वविद्यालय के रिकार्ड के अनुसार आवश्यक रूप से करें। साथ ही परीक्षा में सम्मिलित होने की योग्यता एवं विषयों के चयन में किसी भी प्रकार की त्रुटि पायी जावे तो उसे सही करवाने हेतु नियमित परीक्षा परीक्षार्थी अपने महाविद्यालय से प्रार्थना पत्र अग्रेषित करवाकर तथा स्वयंपाठी परीक्षार्थी आवेदन पत्र के साथ, परीक्षा प्रारम्भ की तिथि से तीन दिवस पूर्व तक विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में निम्नानुसार सम्पर्क करें:

1.	नामांकन आवेदन पत्र	कमरा नं. 118
2.	स्नातक कला संकाय	कमरा नं. 128,
3.	स्नातक वाणिज्य संकाय	कमरा नं. 115
4.	स्नातक विज्ञान संकाय	कमरा नं. 137
5.	स्नातकोत्तर के समस्त संकाय	कमरा नं. 127

आवश्यक निर्देश

1. **परीक्षा–2023 में उन्हीं परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र जारी होंगे जिनके परीक्षा आवेदन पत्र महाविद्यालय के पोर्टल से सत्यापित कर विश्वविद्यालय में प्राप्त हुये हैं।**
2. प्राचार्य, अपने महाविद्यालय में अध्ययनरत नियमित परीक्षार्थियों में से जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है की सूची रोल नम्बर सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु केन्द्राधीक्षक को भेजें जहॉ उनकी परीक्षा आयोजित होगी। साथ ही उसकी एक प्रति विश्वविद्यालय के संबंधित अनुभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होने पर परीक्षार्थी परीक्षा आवेदन की प्रति मय पूर्व में दी गयी सभी परीक्षाओं की अंकतालिकाओं सहित विश्वविद्यालय परीक्षा अनुभाग की संबंधित खिड़की पर सम्पर्क करें।
4. जिन परीक्षार्थियों ने अधिनियम–153–बी (तीन साल का अन्तराल) के तहत गलत परीक्षा फॉर्म भरे हैं उनके प्रवेश पत्र वेबसाईट पर निचली कक्षा के उपलब्ध होंगे।
5. परीक्षार्थी परीक्षा संबंधी आगामी सूचनाओं के लिए वेबसाईट www.univraj.org एवं www.uniraj.ac.in का नियमित अवलोकन करते रहें।

4.3.23
परीक्षा नियंत्रक

क्रमांक : परीक्षा 4–अ / परीक्षा–2023 / 4629 दिनांकः 4–3–23

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. समस्त प्राचार्य / केन्द्राधीक्षक / निदेशक, संघटक / सम्बद्ध महाविद्यालय / विभाग / पी.जी स्कूल्स, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है किः–
   (I) उपरोक्तानुसार वेबसाईट से निकाले गए प्रवेश पत्रों को मान्य करें।
   (II) माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार नियमित छात्र / छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, सम्बन्धित प्राचार्य कम उपस्थिति वाले छात्रों की सूची रोल नम्बर सहित संबंधित परीक्षा केन्द्राधीक्षक को भेजें, ताकि ऐसे छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकें। अन्यथा समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी। ऐसे छात्रों की सूची से विश्वविद्यालय को भी अवगत करायें।
2. समस्त प्राचार्य, संघटक / सम्बद्ध महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को सूचित कर लेख है कि महाविद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषयों के डाटा का विश्वविद्यालय के ऑनलाईन डाटा से मिलान करें एवं किसी प्रकार की त्रुटि है तो परीक्षा से पूर्व विश्वविद्यालय रिकार्ड में दुरस्त करावें।
3. वित्त नियत्रंक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. निदेशक, इन्फोनेट सेंटर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रसारित करवाने की व्यवस्था करें।
5. जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना को समाचार के रूप में दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का श्रम करें।
6. निदेशक, छात्र सूचना एवं सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. उप कुलसचिव, संचालन शाखा / गोपनीय शाखा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. निजी सचिव–कुलपति / कुलसचिव / परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. सहायक कुलसचिव / अनुभागाधिकारी, संचालन शाखा / गोपनीय शाखा / विविध शाखा / छात्र सूचना केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. संबंधित कम्प्यूटर फर्म को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित सूचना महाविद्यालयों के परीक्षा पोर्टल एवं ई–मेल आई.डी. पर भिजवाने का श्रम करें।

सहायक कुलसचिव (परीक्षा–4)